

**ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031**

**ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031 क्या है?**

*ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031* (कार्यनीति) एक राष्ट्रीय ढांचा है, जिसपर ऑस्ट्रेलिया में सभी सरकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह अगले दस वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार करना जारी रखने के लिए एक योजना निर्धारित करती है। यह कार्यनीति सर्वप्रथम *राष्ट्रीय विकलांगता कार्यनीति 2010-2020* को प्रतिस्थापित करती है और इसके आगे निर्माण करती है।

यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के तहत ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

**यह कार्यनीति क्या करेगी?**

कार्यनीति का दृष्टिकोण एक समावेशी ऑस्ट्रेलियाई समाज प्राप्त करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांगता-ग्रस्त लोग समुदाय के अन्य सदस्यों के समरूप अपनी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं।

यह कार्यनीति सात परिणाम क्षेत्रों में परिवर्तन का संचालन करेगी:

* **रोजगार और आर्थिक सुरक्षा:**   
  विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियाँ और करियर के अवसर प्रदान करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके पास पर्याप्त आय सुनिश्चित करना।
* **समावेशी आवास और समुदाय:**सुलभ, किफायती और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए आवासों की संख्या में वृद्धि करना और एक समावेशी तथा सुलभतायुक्त समुदाय का निर्माण करना।
* **सुरक्षा, अधिकार और न्याय:**यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को प्रोत्साहन, मान्यता और संरक्षण दिया जाए तथा विकलांगता-ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करें और कानून के समक्ष समानता प्राप्त कर सकें।
* **व्यक्तिगत और सामुदायिक समर्थन:**विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समर्थनों की सुलभता प्रदान करना, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकें और अपने समुदायों के साथ संलग्न बन सकें।
* **शिक्षण और सीखना:**विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अपने पूरे जीवन-भर शिक्षण और सीखने की सुलभता प्राप्त करने के लिए समर्थित करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक आगे बढ़ सकें।
* **स्वास्थ्य और सकुशलता:**विकलांगता-ग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्र में समर्थन एवं क्षमता में वृद्धि करना, और आपदा की तैयारी तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में विकलांगता-ग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं का समावेशन सुनिश्चित करना।
* **सामुदायिक दृष्टिकोण:**  
  समाज में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के सकारात्मक योगदान को मान्यता देना, और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के साथ काम करने और संलग्न होने के लिए समुदाय में विश्वास का निर्माण करना।

**यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए सुधार कैसे प्राप्त करेगी?**

कार्यनीति को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायता देने के लिएः

* प्रत्येक परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप वितरण के लिए सरकारें गतिविधियाँ शुरू करेंगी।
* अनेकानेक लक्षित कार्य योजनाएँ बनाई जाएँगी, जो सरकारों को विशिष्ट कार्य-कलापों के लिए प्रतिबद्ध करेंगी। पहली पांच लक्षित कार्य योजनाएं रोजगार, सामुदायिक दृष्टिकोण, आरंभिक बचपन (एर्ली चाइल्डहुड), सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में हैं।
* प्रतिवर्ष सार्वजनिक रिपोर्टें बनाई जाएँगी, जो प्रगति का मापन करेंगी तथा और अधिक प्रयास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगी।
* विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास सरकारों को यह बताने के तरीके उपलब्ध होंगे कि उनके विचार में कार्यनीति को क्या करने की आवश्यकता है। इसमें विकलांगता-ग्रस्त लोगों की सदस्यता वाली एक सलाहकार परिषद और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के बारे में नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक परामर्श एवं मंच भी शामिल हैं।

**कार्यनीति के बारे में सरकारों ने किसके साथ परामर्श किया?**

सरकारों ने कार्यनीति को विकसित करने के हिस्से के रूप में 3,000 से भी अधिक विकलांगता-ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया।

परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने कार्यनीति को काफी अधिक प्रभावित किया।

**मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?**

आप वेबसाइट [**www.disabilitygateway.gov.au/ads**](http://www.disabilitygateway.gov.au/ads) पर *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031* पढ़ सकते/सकती हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यह कार्यनीति और इसके सहायक दस्तावेज ईज़ी रीड, ऑस्लैन और भाषा अनुवादों में उपलब्ध हैं।

यदि आपके पास कार्यनीति के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया [**australia'sdisabilitystrategy@dss.gov.au**](mailto:australia’sdisabilitystrategy@dss.gov.au) पर ईमेल भेजें।

आपको विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट [**www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html**](http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html) पर मिल सकती है।